"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 196] रायपुर, सोमवार, दिनांक 4 अगस्त 2003—श्रावण 13, शक 1925

गृह विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 4 अगस्त 2003

अधिसूचना

क्रमांक एफ-4-162/गृह/सी/2003.—राज्य शासन को सम्यक् रूप से समाधान हो गया है कि श्री आर. चन्द्रा एवं श्री कन्हैयालाल चंचरीक द्वारा लिखित एवं यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन, 7/31, अन्सारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली 110002 द्वारा प्रकाशित एवं जी. के. फाइन आर्ट प्रेस, दिल्ली द्वारा मुद्रित पुस्तक "आधुनिक भारत का दलित आंदोलन" के अध्याय 4 (पृष्ठ 96-98) में उल्लेखित टिप्पणियों से वर्ग-विशेष की सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचने तथा छत्तीसगढ़ राज्य की सामाजिक समरसता बिगड़ने और अशांति फैलने की आशंका है, अतः दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 95 (एक) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा उपरोक्त संदर्भित पुस्तक के विक्रय, वाचन, उद्धरण एवं संग्रहण पर छत्तीसगढ़ राज्य में पूर्ण प्रतिबंध आदेशित करता है और संदर्भित पुस्तक की प्रत्येक प्रति को राज्य में जहां कहीं भी हो, को तत्काल प्रभाव से राजसात करने का आदेश भी देता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राबर्ट ह्रांग्डोला, प्रमुख सचिव.

रायपुर, दिनांक 4 अगस्त 2003

क्रमांक एफ-4-162/गृह/सी/2003.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के अधिसूचना समसंख्यक दिनांक 4-8-2003 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राबर्ट ह्रांग्डोला, प्रमुख सचिव.

Raipur, the 4th August 2003

NOTIFICATION

No. F-4-162/Home/C/2003.—It appears from the material contained in Adhyaya 4 (Page 96-98) of book "Adhunik Bharat Ka Dalit Andolan" written by Shri R. Chandra and Shri Kanhiya Lal Chanchrik, published by University Publication, 7/31, Ansari Road, Dariyaganj, New Delhi 110002 and printed by G. K. Fine Art Press, Delhi that, it is derogatory and hurts social feeling of certain class. There is apprehension of disturbance and breach of peace, social harmony in Chhattisgarh. Thus, in exercise to powers conferred by Section 95 (1) Cr. P. C. 1973 the State Government hereby prohibits sale, references, reading and collection of the said book in Chhattisgarh State and also directs to seize every copy of book wherever found in the State.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ROBERT HRANGDAWLA, Principal Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2003.